समाहरणालय, पटना

(जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0)

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु विज्ञापन

(विज्ञापन संख्या–02/2014)

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–2862 दिनांक–04.11.2012 द्वारा निर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की मार्गदर्शिका–2011 एवं ज्ञापांक–423/03.02.2012, 1001/20.03.2012, 1528/27.04.2012, 2897/10.06.2013 द्वारा संशोधित प्रावधानों तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों का वार्ड आधारित परिसीमन संबंधी ज्ञापांक–2005/27.04.2013 एवं पत्रांक–6989/19.12.2013 में निहित निदेशों के आलोक में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सेविका/सहायिका की रिक्तियों के विरूद्ध चयन हेतु इच्छुक योग्य, सक्षम एवं सभी अहर्ताओं को पूर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आँगनबाड़ी सेविका	आँगनबाड़ी सहायिका	कुल
1	2	3	4	5
1	बख्तियारपुर–बेलछी	72	35	107
2	बाढ़–अथमलगोला	14	22	36
3	बिहटा	05	12	17
4	फतुहाँ–दनियावाँ	21	26	47
5	मोकामा–घोषवरी	10	20	30
6	पटना ग्रामीण	09	12	21
7	पटना सदर–2	32	40	72
8	पटना सदर–3	17	47	64
9	पालीगंज	13	09	22
योग		**193**	**223**	**416**

सेविका/सहायिका के रिक्त पद का विस्तृत विवरण/आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, प्रखण्ड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय/अनुमण्डल कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय, पटना के सूचना पट्ट एवं पटना जिला के सरकारी वेबसाइट **www.patna.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। मेधा सूची का प्रकाशन एवं उसके विरूद्ध दर्ज आपत्ति का निराकरण संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदन पत्र पटना जिला के सरकारी वेबसाइट **www.patna.bih.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	दिनांक 25.06.2014 से 03.07.2014 तक।
औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन की तिथि	दिनांक 08.07.2014
प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करने की तिथि	दिनांक 09.07.2014 से 12.07.2014 तक।
आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि	दिनांक 17.07.2014
अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन की तिथि	दिनांक 21.07.2014
आम सभा की तिथि का निर्धारण	सम्बंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संबंधित अध्यक्षों से सम्पर्क कर आम सभा की तिथि निर्धारित कर सभी सम्बंधितों को सूचित करेंगी।

आवेदन पत्र A4 साईज कागज पर विहित प्रपत्र में ही आवेदक द्वारा सुस्पष्ट भरा होना चाहिए। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। संलग्न स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु आयोजित ग्राम सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अपूर्ण आवेदन–पत्र अथवा निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चयन सक्षम न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होगा।

विभिन्न स्थानों पर उपलब्धता के अनुसार ग्राम सभा के आयोजन का स्थल सामुदायिक भवन, सरकारी विद्यालय, पंचायत भवन, सरकारी आँगनबाड़ी केन्द्र या अन्य सरकारी भवन होगा। इसके संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(क) **आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अहर्ता**

1. शैक्षणिक योग्यता :– आँगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जाएगी, जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग/शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो।
2. चयन प्रक्रिया में पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग की प्राथमिकता रहेगी। 'बाहुल्य वर्ग' से अभिप्रेत है – आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचिनाओं/संकल्पों द्वारा संषोधित किया गया है यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग।
3. आवेदिका को भारत का नागरिक होना चाहिए।
4.. उम्र :– 01 जनवरी, 2014 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।
5. सेविका चयन हेतु संबंधित केन्द्र के पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जाएगा।
6. आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में जहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
7. आँगनबाड़ी सेविका उस गाँव की बहू होनी चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गाँव की बेटी स्थायी रूप से माँ के यहाँ निवास करती है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (जो छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हों) उपलब्ध है तो उनके चयन पर भी विचार किया जायेगा।
8. पटना जिला के पुरूष जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहु/अन्य रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगी। {रिश्तेदार का अर्थ है– माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री), भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु और ननद}।

   जनप्रतिनिधि (पुरूष एवं महिला के मामले में) की पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखण्ड में सेविका/सहायिका पद पर चयन हेतु अयोग्य होंगी।

   जनप्रतिनिधि जैसे (मुखिया, वार्ड सदस्य, सदस्य–पंचायत समिति, पंच, सरपंच, प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड कमिश्नर इत्यादि) सेविका/सहायिका पद के लिए अयोग्य होगी।

   परन्तु जनप्रतिनिधि स्वयं अथवा उनके सम्बंधी आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका पद पर चयन हेतु आवेदन देते हैं तो जनप्रतिनिधि के पद से उनका त्याग–पत्र कब से मान्य होगा के सम्बंध में निम्न प्रावधान है – अभ्यर्थी के सम्बंधी अथवा स्वयं अभ्यर्थी का जनप्रतिनिधि के पद से आम सभा में लिए गए अंतिम निर्णय के उपरान्त 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग–पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना मान्य होगा। इसके पश्चात् ही चयन–पत्र निर्गत किया जाएगा। यदि 15 दिनों के बाद भी त्याग–पत्र स्वीकृत नहीं होता है तो मेधा–सूची पैनल से दूसरे नम्बर के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
9. संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमण्डल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी पुरूष कर्मचारी/पदाधिकारी की पत्नी/बहु/अन्य रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। रिश्तेदार से अर्थ है– माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री), भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन तथा इसके साथ सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी महिला कर्मचारी/पदाधिकारी के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु, पुत्री और ननद सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होंगी।

   संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रू0 6000/– (छः हजार रूपये) या उससे कम है, उनके उपर यह कंडिका लागू नहीं होती है।
10. संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों के पुरूष विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमंतु किरासन तेल के विक्रेता) की माँ, पत्नी, बहु, रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। रिश्तेदार का अर्थ है– भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन तथा इसके साथ महिला विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमंतु किरासन तेल के विक्रेता) के मामले में पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु, पुत्री और ननद सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होंगी।
11. विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40 प्रतिशत तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आँगनबाड़ी केंद्र के कार्यो के लिए सक्षम होना चाहिये। सक्षम पदाधिकारी से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
12. आशा कार्यकर्त्ता सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है, अतः आशा कार्यकर्त्ता का चयन सेविका/सहायिका पद पर किया जाएगा। चयन होने के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ पत्र में त्याग पत्र उपलब्ध करायेंगी।
13. आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्त्ता हैं। ये सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर नहीं हैं। अतः इनके रिश्तेदार का चयन सेविका/सहायिका के पद पर किया जाएगा।
14. **सेविका/सहायिका पदों के लिए अयोग्यताएं:–**

(I) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

(II) किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया से घोषित इस पद के लिए अयोग्य होगी।

(III) सेविका एवं सहायिका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिश्तेदार नहीं होगी, यथा सास–बहू /ननद–भाभी/देवरानी–जेठानी/माँ–बेटी/बहन–बहन/बहन–भतीजी/सगी–गोतनी आदि।

(IV) विभिन्न अनुशासनिक/जाँच कारणों से चयन मुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए अयोग्य होगी।

(V) ऐसी महिलाएँ जो किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत हैं, वे सेविका के पद पर चयन के लिए अयोग्य होंगी।

(ख) सेविका के लिए मेधा सूची का निर्धारण :–

1. मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। परन्तु ऐसी गणना से समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा।
2. इन्टर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 7 (सात) बोनस अंक दिए जाएंगे तथा स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 (सात) अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे।
3. इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे।

(i)	विधवा/परित्यकता	–	7 अंक
(ii)	विकलांग	–	5 अंक
(iii)	सहायिका	–	5 अंक

4. उम्मीदवारों की एक मेधा सूची मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में वर्गवार तैयार की जाएगी। इसके बाद (ग)(2) एवं (ग)(3) के अनुसार प्राप्त कुल बोनस अंकों को प्राप्त प्रदत्त अंक में जोड़कर सम्पूर्ण मेधा अंक निकालकर मेधा सूची विहित प्रपत्र में वर्गवार तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवारों से ही किया जायेगा, बषर्ते वे कंडिका (क) में वर्णित न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता तथा अन्य अहर्ताएं पुरी करती हों। चयन हेतू मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहुल्य वर्ग में से सभी अहर्ताएं प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा – (क) अनुसूचित जनजाति (ख) अनुसूचित जाति (ग) अति पिछड़ा वर्ग (घ) पिछड़ा वर्ग (ड़) अल्पसंख्यक (च) सामान्य वर्ग।
5. कंडिका (ग)(4) के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जाएगी :–

(i) विधवा (ii) परित्यकता (iii) विकलांग (iv) सहायिका ।

टिप्पणी – विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुर्नविवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर वांछनीय होगा।

(ग) <u>आँगनबाड़ी सहायिका चयन हेतु अहर्ता :–</u>

(1) शैक्षणिक योग्यता :– आँगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम योग्यता सप्तम पास होगी।

(2) अन्य सभी योग्यताएँ उपर के कंडिका (ख) में वर्णित आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता के उप कंडिका 3 से 14 के समरूप होंगे।

(घ) <u>सहायिका के लिए मेधा निर्धारण :–</u>

(1) आँगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का हीं चयन किया जाएगा। अगर अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग में सभी अर्हत्ता प्राप्त कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हत्ता प्राप्त उम्मीदवारों में से सहायिका का चयन किया जाएगा :–

(क) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ख) पिछड़ा वर्ग (ग) अल्पसंख्यक (घ) बाहुल्य वर्ग (ड़) सामान्य वर्ग

किसी भी वर्ग में एक से अधिक उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति में चयन की प्रक्रिया हेतू निम्न रूप से मेधा निर्धारण किया जाएगा :–

(i) सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और उसका चयन किया जाएगा।

(ii) उपकंडिका (i) की स्थिति में अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा कोई भी मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास न हों तब उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा :–

(क) विधवा (ख) परित्यकता (ग) विकलांग (घ) उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी :– उपर के कंडिका (ख) (5) की टिप्पणी की शर्त्तें यहाँ लागू होंगी।

(iii) कंडिका (घ)(1)(i) की स्थिति में अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा ये मैट्रिक (अथवा उसके समकक्ष) या उससे उपर की (यथा इंटरमिडिएट, स्नातक इत्यादि) योग्यताएँ हों तब उम्मीदवारों की एक मेधा सूची बनाई जाएगी। इस मेधा सूची में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। परन्तु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा :–

(क) विधवा (ख) परित्यकता (ग) विकलांग (घ) उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी :– उपर के कंडिका (ख) (5) की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू होंगी।

(च) चयन की अवधि :–

1. सेविका/सहायिका अधिकतम 60 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका और सहायिका स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका और सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी।
2. प्रथम बार में सेविका/सहायिका का चयन 3 वर्षों के लिए किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने और कंडिका (क) अथवा (ग) में वर्णित सारी अहर्त्ताओं को पूर्ण करने पर ही सेविका/सहायिका के चयन को जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की एक समिति द्वारा पुनः 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।

(छ) मानदेय :–आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का मानदेय समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा।

ह०/-
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक -1230 /जि०प्रो०,पटना दिनांक 18.06.2014

प्रतिलिपिः– संबंधित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अपने स्तर से विस्तृत प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। विज्ञापन की प्रति, रिक्ति विवरणी के साथ संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्रों, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद्, प्रखण्ड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु चिपकायेंगे। संबंधित वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद /पंच को अपने स्तर से विज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, पटना आपस में समन्वय स्थापित कर सेविका/सहायिका के चयन हेतु आम सभा की तिथि को अपने प्रखण्ड के एक अनुसूचित जाति/जनजाति पदाधिकारी को मनोनित करने एवं सूचना पट्ट पर चिपकाने एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को जिला पटना की सरकारी वेबसाइट पर विज्ञापन, रिक्ति विवरणी, संबंधित मार्गदर्शिका, 2011 एवं उसमें संशोधन हेतु निर्गत पत्रों, आवेदन पत्र, अनुलग्नक सहित प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/14

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पटना।

कार्यालय के उपयोग हेतु आवेदन पत्र का क्रमांक................. एवं तिथि ....

वर्ष 2013 में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका–2011 देखें)

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

(समेकित बाल विकास सेवाएँ)

<u>आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पर का प्रपत्र</u>

ध्यातव्य : निम्नांकित फार्म को नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें।

आवेदित पद का विवरण (रिक्ति की विवरणी संबंधित बाल विकास परियोजना के सूचना पट्ट या जिला पटना के वेबसाइट **www.patna.bih.nic.in** पर देखी जा सकती है।	(01.) पद का नाम–	
	(02.) आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–	
	(03.) आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम–	
	(04.) पंचायत/नगर परिषद् का नाम–	
	(05.) वार्ड सं0	
	(06.) परियोजना का नाम–	

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उसपर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें।

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

....

....

01. (i) नाम (हिन्दी में) ....

(ii) पति का नाम ....

(iii) पति का व्यवसाय कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य ☐

(iv) श्वसुर का नाम ....

(v) श्वसुर का व्यवसाय कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य ☐

(vi) जन्म तिथि (अंकों में)..

(vii) दिनांक 01.01.2014 को उम्र ....वर्ष.....................महीना........................दिन.....................

02. (i) क्या आप भारत के नागरिक है ? ☐ 1 – हाँ 2 – नहीं

(ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी है ? ☐ हाँ या नहीं लिखें

(iii) क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से है ? ☐ 1 – हाँ 2 – नहीं

(iv) यदि हॉ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें ? ☐ 02–अ0जा0 03–अ0ज0जा0 04–अ0पि0व0 05–पि0व0

03. (i) क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है ? ☐ 1 – हाँ 2 – नहीं

(ii) यदि हाँ, तो विकलांगता का स्वरूप अंकित करें ☐ 1 –नेत्रहीन 2– बहरा, गूंगा 3 –शारीरिक विकलांग

(iii) विकलांगता का प्रतिशत ☐ 1 – 40% से अधिक 2 – 40% से कम

04. (i) मैपिंग पंजी में परिवार के मुखिया (पति/श्वसुर) का

नाम :–...क्रमांक ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...

(ii) मतदाता सूची में स्वयं अथवा परिवार के मुखिया (पति/श्वसुर) का नाम एवं क्रमांक

....

(iii) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र का विवरण :–

(A) अंचलाधिकारी:–.......................... (2) आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या:–..................... (3) प्रमाण पत्र की तिथि:–.....................

(B) अंचलाधिकारी:–.......................... (2) जाति प्रमाण पत्र की संख्या:–.......................... (3) प्रमाण पत्र की तिथि:–.....................

05. वैवाहिक स्थिति – विधवा ☐ परित्यक्ता ☐ विवाहित ☐

06. वार्षिक आय – आय का स्त्रोत – कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य ☐

07. (i) क्या आप सजायाप्ता है अथवा आपने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अन्तर्गत शांति या अच्छे व्यवहार के लिये कभी बंध पत्र दाखिल किया है ? हाँ ☐ नहीं ☐

(ii) किसी सक्षम न्यायालय से दिवालीया घोषित की गई है अथवा नहीं? हाँ ☐ नहीं ☐

(iii) क्या आप पूर्व में विभिन्न अनुशासनिक/जांच कारणों से सेविका/सहायिका के रूप में चयनमुक्त हुई है अथवा नहीं ? हाँ ☐ नहीं ☐

08. दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) ☐

मोबाईल संख्या ☐

09. स्थायी पता :– ☐

☐

☐

वार्ड संख्या ☐ नगर/निकाय का नाम ☐ प्रखण्ड का नाम ☐

पोस्ट ☐ जिला ☐ पिन कोड ☐

10. शैक्षणिक योग्यता :–

उत्तीर्ण परीक्षा	संकाय/विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	उत्तीर्ण होने की श्रेणी	संस्थान/विद्यालय	बोर्ड/विश्व विद्यालय	प्राप्तांक/पुर्णांक	प्रतिशत
मैट्रिक/समकक्ष							
इण्टरमिडिएट/ +2							
स्नातक सामान्य/प्रतिष्ठा							

11. उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्हः–..

12. महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य अनुभव (यदि कोई हो तो)..

....

13. साथ में लगाए गये प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची (संबंधित पर सही का निशान लगायें)

1. मैट्रिक का प्रमाण पत्र		2. मैट्रिक का अंक पत्र		3. इन्टरमिडिएट/ +2 का अंक पत्र		4. जाति प्रमाण पत्र	
5. स्नातक का अंक पत्र		6. विधवा प्रमाण पत्र		7. परित्यक्ता प्रमाण पत्र		8. विकलांगता प्रमाण पत्र	

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर......................................

9. स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र		10. जाति प्रमाण पत्र		11.		12.	

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में उपर दी गई सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। मैं आवेदित पद के लिए सभी अहर्त्ताएँ पूरी करती हूँ। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है फिर भी यदि उपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होउँगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थानः– .... आवेदिका का हस्ताक्षरः हिन्दी में

दिनांक–..........................

टिप्पणी :– (01.) आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों की केवल छाया प्रति संलग्न करें। मूल प्रति आम सभा में प्रस्तुत करें।
(02.) संबंधित अभ्यर्थी आवेदन पत्र के हर पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करेंगी।

....

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमती .... पति का नाम..से.. पंचायत अन्तर्गत ....ऑगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

दिनांक.....................

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम

स्थानः–..................

अनुलग्नक – 'क'

विधवा संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मो0..पति स्व0.. ग्राम / टोला..वार्ड संख्या...........................पंचायत / नगर निकाय................................ प्रखण्ड.. जिला.................................. राज्य................................ के पति का देहान्त दिनांक.. को हो चुका है। पति के मृत्यु के उपरांत मो0................................ हमारे पंचायत.. के वार्ड संख्या.......................... के ग्राम .... में स्थायी रूप से निवास कर रही है, तथा इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

मुखिया / वार्ड सदस्य (शहर क्षेत्र) का हस्ताक्षर

नाम :–...

पंचायत / वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र)........................

दिनांक :– ....

अनुलग्नक – 'ख'

<u>विधवा संबंधी प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..पिता.. ग्राम / टोला..वार्ड संख्या.........................पंचायत / नगर निकाय.............................. प्रखण्ड................................ जिला................................ राज्य............................. के साथ वर्ष ....में हुआ था। विवाहोपरांत श्री.. ने, विगत दो वर्षों से अपनी पत्नी श्रीमती .... को अपने साथ न रखकर यूंही छोड़ रखा है या विधिवत तलाक दे दिया है। श्रीमती.. हमारे पंचायत / नगर निकाय .... के वार्ड संख्या............................ ग्राम .... में परित्यक्ता महिला के रूप में जीवन–बसर कर रही है। इनका अपने पति के साथ विगत दो वर्षों से कोई संबंध नहीं है।

मुखिया / वार्ड सदस्य (शहर क्षेत्र) का हस्ताक्षर

नाम :–..

पंचायत / वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र)........................

दिनांक :– ....